

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक  
इजलास सरिता मल्होत्रा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक  
दावा संख्या :-19A/2020 निर्णय दिनांक:-19/3/24

उनवान

1. परमेश्वर पुत्र बंशीधर पारीक निवासी कस्बा निवाई जिला टोक

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोक
2. सज्जन कंवर पत्नी कालू सिंह निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोक (हजब)
3. प्रेम पुत्री नन्द सिंह राजपूत निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोक
4. उपराव पुत्री नन्द सिंह राजपूत निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोक
5. ओमप्रकाश पुत्र बंशीधर पारीक निवासी कस्बा निवाई जिला टोक
6. रमेश चन्द पुत्र बंशीधर पारीक निवासी कस्बा निवाई जिला टोक
7. रवि प्रकाश पुत्र बंशीधर पारीक निवासी कस्बा निवाई जिला टोक
8. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
9. उपपंजीयक निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

उपस्थित :- 1 श्री रामबाबू शर्मा (अधिवक्ता वादीगण)  
2 प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 1003 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 1004 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1005 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 1006 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1007 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 1009 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1010 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1013 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय पटवार हल्का झिलाय तहसील निवाई में स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का 1/6 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज काश्त है जिसका मौके व कब्जे अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1ता 3 व 5 ता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजब किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 वाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम झिलाय पटवार हल्का झिलाय तहसील निवाई के खसरा नम्बर 1003 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 1004 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1005 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 1006 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1007 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 1009 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1010 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1013 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जे व मौके के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार निवाई को विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार निवाई द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 05.01.2024 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई।


अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 कब्जे काश्त आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2072-73	ख.न.	रकबा
1	झिलाय	ओमप्रकाश पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/4, परमेश्वर दयाल पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/4, रमेशचन्द पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/4, रविप्रकाश पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/4 कोम पारीक सा. निवाई	1009/1 1010/1	0.9147 0.3288
	योग		2	1.2435

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा
2	झिलाय	उमराव पुत्री नन्द सिंह हिस्सा 1/8 नाबालिग	1003	0.2529
2		गोविन्द सिंह पुत्री कालू सिंह सररक्षक सरपरस्त माता सज्जन कंवर पत्नी कालू सिंह हिस्सा 3/8 प्रेम पुत्री नन्द सिंह हिस्सा 1/8 सज्जन कंवर पत्नी स्वर्गीय कालू सिंह हिस्सा 3/8 कोम राजपूत सा. रेह खाते.	1004 1005 1006 1007 1009/2	0.6323 0.0885 0.8852 0.1012 0.0464 0.1012
	योग		7	2.4871

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा
2				
1	झिलाय	सामलाती खाता रहेगा	1009/3	0.0253
	योग		1	0.0253

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं पर्चा डिक्री जारी हो फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।  
यह निर्णय आज दिनांक ...19/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सरिता मल्होत्रा  
(आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

# न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तादाई)

(सरिता मल्होत्रा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई )

उनवान

परमेश्वर दयाल बनाम गोविन्द सिंह वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 19A/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सरिता मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी श्री रामबाबू शर्मा वकील वादी मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिकी किया जाता है कि तहसीलदार निवाई से प्राप्त कूर्रजात रिपोर्ट पर बहस एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। वाद वादी मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट डिकी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्तं खातेदारी भूमि ग्राम खसरा नम्बर 1003 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 1004 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1005 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 1006 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1007 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 1009 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1010 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1013 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2072-73	ख.न.	रकबा
1				
	झिलाय	ओमप्रकाश पुत्र बशीधर हिस्सा 1/4, परमेश्वर दयाल पुत्र बशीधर हिस्सा 1/4, रमेशचन्द पुत्र बशीधर हिस्सा 1/4, रविप्रकाश पुत्र बशीधर हिस्सा 1/4 कोम पारीक सा. निवाई	1009/1 1010/1	0.9147 0.3288
	योग		2	1.2435

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा
2				
1	झिलाय	उमराव पुत्री नन्द सिंह हिस्सा 1/8 नाबालिग	1003	0.2529
2		गोविन्द सिंह पुत्री कालू सिंह सरंक्षक सरपरस्त माता सज्जन कंवर पत्नी कालू सिंह हिस्सा 3/8 प्रेम पुत्री नन्द सिंह हिस्सा 1/8 सज्जन कंवर पत्नी स्वर्गीय कालू सिंह हिस्सा 3/8 कोम राजपूत सा. रेह खाते.	1004 1005 1006 1007 1009/2	0.6323 0.0885 0.8852 0.1012 0.0464
	योग		1013	0.3794
	योग		7	2.4871

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा
2				
1	झिलाय	सामलाती खाता रहेगा	1009/3	0.0253
	योग		1	0.0253

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/3/20 को जारी की गई।

सरिता मल्होत्रा  
(आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई